

भारत सरकार  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 25-24  
दक्षिण मार्ग-31 सेक्टर, ऐ  
चंडीगढ़ 160030-

फाइल नम्बर : 9-PBB380/2016-CHA

दिनांक : 21 सितम्बर 2017

सेवा में,

अतिरिक्त पी० सी० सी० एफ० (एफ सी) &  
नोडल ऑफिसर, एफ० सी० ए०  
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 68,  
एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब।

**विषय: Diversion of 0.0025 hectare of forest land underground cemented Water pipe line on Sunam Jakhal road KM 13-15 R/s under Forest Division and District Sangrur, Punjab**

संदर्भ:- पंजाब सरकार, वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग के पत्र संख्या पत्र संख्या FCA/1980/215/2015/1534  
दिनांक 16.08.2017.

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाया जाता है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.0025 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव को इस कार्यालय में वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के नियमों के अनुसार विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित कमियां पाई गई जिन्हें भेजने का कष्ट करें:-

- FRA सर्टिफिकेट की मूल प्रति भेजें।
- प्रतिपूर्ति पौधा रोपण के लिए वन संक्षरण अधिनियम-1980, के विनिर्देशों पैरा 3.2 (viii) (b) के अनुरूप 50 पौधों को लगाने की स्कीम भेजें।
- प्रोजेक्ट साइट की सही KML फाइल polygon शेप में ऑनलाइन अपलोड करें।

3. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय,

  
21/09/17

(के०जेड० भुटिया)

वन संरक्षक ( केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

- वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला संगरूर, पंजाब।
- मिश्र सिंह सुपुत्र श्री इशर सिंह, गाँव चाज्ला, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब।